Rcmc 2016/00112

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 06/2016 (निगरानी)

उनवान

वद्रीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति माली निवासी ग्राम बन्धा तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज0)

(निगराकार)

बनाम

1. पंचकूला उर्फ फूलां बाई पत्नी श्री रामप्रसाद उम्र 37 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम बन्धा, तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज0)
2. ग्राम पंचायत जर्ये सेक्रेटरी, कुराड, तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज0)

(गैर निगराकार)

उपस्थित :—
1. श्री नरपत सिंह राजावत (अभिभाषक निगराकार)
2. श्री श्री रामप्रसाद नागर (अभिभाषक निगराकार)
3. श्री रमेश कुमार राठोड (अभिभाषक गेरनिगराकार नं0 1)
4. श्री घनश्याम नागर (गैरनिगराकार नं0 2)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 06.12.2004 पट्टा नम्बर 22 ग्राम पंचायत कुराड, तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज0)

निर्णय दिनांक : 09.08..2019

1. निगराकार द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत, कुराड द्वारा जारी पट्टा नम्बर 22 दिनांक 06.12.2004 खिलाफ नियम, कानून एंव0 तथ्यों के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैरनिगराकार की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ। जैर निगरानी से सम्बन्धित अधीनस्थ ग्राम पंचायत कुराड से पट्टा सम्बन्धित पत्रावली तलब करने पर उनके द्वारा अपने पत्र कमांक 15 दिनांक 26.05.2016 से अवगत कराया है कि जिस पत्रावली को तलब किया गया है, उसे भरपूर कोशिश कर तलाशने पर भी ग्राम पंचायत रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। पंचायत द्वारा जारी पट्टा कमांक 22 प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 दिनांक 06.12.2004 के शिविर ग्राम पंचायत भवन कुराड में प्रस्ताव कमांक 1 के अनुसार जारी किया गया था।"

3. उपस्थित विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक निगराकार द्वारा बहस निगरानी में लिखित बिन्दु प्रस्तुत कर कथन है कि पत्रावली पर प्रस्तुत ग्राम सेवक पदेन सचिव पंचायत कुराड की रिपोर्ट दिनांक 12.01.12 के मुताबिक उक्त पट्टा आवंटन सम्बन्धित तथा प्रस्ताव पंचायत दिनांक 6.12.2004 सम्बन्धित कोई रेकार्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पट्टे पर दी हुई भूमि आम रास्ते की राजस्व भूमि है। जबकि पंचायत को केवल आबादी भूमि ही पट्टे पर देने का अधिकार है। रास्ते व राजस्व भूमि का विकय/आवंटन पूर्णतः अवैध है। आवंटन विकय से पूर्व पंचायत नियम 148 के मुताबिक उद्घोषणा जारी कर पंचायत नियम 148 से 152 की भी कोई पालना नहीं की गई है। सौ रूपये से अधिक मूल्य पर जारी पट्टे का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाना रजिस्ट्रेशन एक्ट के

लिया गया तथा कोरम के अभाव में ही तथा कथित पट्टा जारी कर दिया। इस सम्बन्ध में निगरानीकार का मकान विवादित भूमि से लगा हुआ हैं को भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया और

प्रावधानों मुताबिक आवश्यक है। सरपंच पंचायत कुराड द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.01.12 के मुताबिक पट्टा नं0 22 की पत्रावली पंचायत से तलबी करने पर कोई पत्रावली उपलब्ध न होना बताया हुआ है। उक्त आधार पर प्रश्नगत पट्टा प्रकरण बनावटी एंव फर्जी है। प्रश्नगत पटटे पर पट्टाधारी पंचफूला के भी केता के स्थान पर हस्ताक्षर नहीं है। पट्टे पर अंकित प्रलेख के मुताबिक पंचायत नियम 1996 के उप नियम 150 से 152 की पालना बावत कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। पंचफूलां पत्नी रामप्रसाद का पति जीवित मौजूद है तथा उसका बन्धा गांव में पृथक मकान है। प्रमुख रूप से पट्टे में अंकित माप व नक्शे के मुताबिक 38 बाई 12 वर्गफूट क्षैत्रफल की भूमि किस गांव की है, अंकित नहीं है तथा पट्टे के पृष्ठ पर अंकित चतुर्सीमाओं में चारों तरफ खाली भूखण्ड व रास्ता ही अंकित होने से उक्त भूमि आबादी क्षैत्र की नहीं है। तथा उक्त पट्टा आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत कुराड द्वारा जारी पट्टा नम्बर 22 दिनांक 06.12.2004 निरस्त फरमाया जावे, तथा अन्य सहायता जो न्यायोचित हो वह भी निगराकार को दिलायी जावे।

5. गैर निगराकार की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक गैर निगराकार का जवाब बहस में कथन है कि गैरनिगराकार कम 1 को गैर निगराकार नम्बर 2 ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा कमांक 22 प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 दिनांक 06.12.2004 के शिविर ग्राम पंचायत भवन कुराड में प्रस्ताव कमांक 1 के अनुसार जारी किया गया था। जिसमें किसी प्रकार से निगराकार को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। शिविर में पट्टा रियायती दर पर जारी किया गया है। निगराकार ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील करने का नियमों में प्रावधान उपलब्ध है। निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही निगरानी प्रस्तुत की गई है। जो श्रवण योग्य नहीं है। अतः निगराकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि यद्यपि निगराकार का प्रस्तुत निगरानी में यह कथन है कि "पत्रावली पर प्रस्तुत ग्राम सेवक पदेन सचिव पंचायत कुराड की रिपोर्ट दिनांक 12.01.12 के मुताबिक उक्त पट्टा आवंटन सम्बन्धित तथा प्रस्ताव पंचायत दिनांक 6.12.2004 सम्बन्धित कोई रेकार्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पट्टे पर दी हुई भूमि आम रास्ते की राजस्व भूमि है। जबकि पंचायत को केवल आबादी भूमि ही पटटे पर देने का अधिकार है। रास्ते व राजस्व भूमि का विकय/आवंटन पूर्णतः अवैध है। आवंटन विकय से पूर्व पंचायत नियम 148 के मुताबिक उद्घोषणा जारी कर पंचायत नियम 148 से 152 की भी कोई पालना नहीं की गई है। सो रूपये से अधिक मूल्य पर जारी पटटे का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाना रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों मुताबिक आवश्यक है। सरपंच पंचायत कुराड द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.01.12 के मुताबिक पट्टा नं0 22 की पत्रावली पंचायत से तलबी करने पर कोई पत्रावली उपलब्ध न होना बताया हुआ है। उक्त आधार पर प्रश्नगत पट्टा प्रकरण बनावटी एंव फर्जी है। प्रश्नगत पटटे पर पट्टाधारी पंचफूला के भी केता के स्थान पर हस्ताक्षर नहीं है। पट्टे पर अंकित प्रलेख के मुताबिक पंचायत नियम 1996 के उप नियम 150 से 152 की पालना बाबत कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। पंचफूलां पत्नी रामप्रसाद का पति जीवित मौजूद है तथा उसका बन्धा गांव में पृथक मकान है। प्रमुख रूप से पट्टे में अंकित माप व नक्शे के मुताबिक 38 बाई 12 वर्गफूट क्षैत्रफल की भूमि किस गांव की है, अंकित नहीं है तथा पट्टे के पृष्ठ पर अंकित चतुर्सीमाओं में चारों तरफ खाली भूखण्ड व रास्ता ही अंकित होने से उक्त भूमि आबादी क्षैत्र की नहीं है। तथा उक्त पट्टा आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत कुराड द्वारा जारी पट्टा नम्बर 22 दिनांक 06.12.2004 निरस्त फरमाया जावे" गैरनिगराकार का कथन रहा है कि "गैरनिगराकार कम 1 को गैर निगराकार नम्बर 2 ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा कमांक 22 प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 दिनांक 06.12.2004 के शिविर ग्राम पंचायत भवन कुराड में प्रस्ताव कमांक 1 के अनुसार जारी किया गया था। जिसमें किसी प्रकार से निगराकार को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। शिविर में पट्टा रियायती दर पर जारी किया गया है। निगराकार ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील करने का नियमों में

प्रावधान उपलब्ध है। निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही निगरानी प्रस्तुत की गई है। जो श्रवण योग्य नहीं है।" उभय पक्ष द्वारा व्यक्त उक्त कथनों के परिपेष्य में सारगर्भित है कि निगराकार ने प्रस्तुत निगरानी में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे यह पाया जाता हो कि गैरनिगराकार के पक्ष में जारी पट्टे से निगराकार के हित किस प्रकार से प्रभावित हो रहे है। निगराकार ने प्रस्तुत निगरानी में पट्टे पर दी हुई भूमि आम रास्ते की राजस्व भूमि होना तथा पट्टे के पृष्ठ पर अंकित चतुर्सीमाओं में चारों तरफ खाली भूखण्ड व रास्ता ही अंकित होने से उक्त भूमि आबादी क्षैत्र की नहीं होना कथन तो किया है किन्तु ऐसे किसी प्रमाणिक साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट नहीं किया है, जो निगराकार के हितों को प्रभावित करते हों। हालांकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे के सम्बन्ध में पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है किन्तु उनके द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 22 प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 दिनांक 06.12.2004 के शिविर ग्राम पंचायत भवन कुराड में प्रस्ताव क्रमांक 1 के अनुसार जारी किया जाना बताया गया है। जिससे यह नहीं माना जा सकता कि गैरनिगराकार कम 1 के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा प्रकरण बनावटी एंव फर्जी हो। ऐसे में निगराकार स्वंय के कोई हित प्रभावित होने जैसी स्थिति पत्रावली पर प्रदर्शित नहीं होने से निगराकार द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार किऐ जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

7. परिणामतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी खारिज की जाती है।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(श्रीवल्लभ मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा